

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन

दिनांक	फर्द अहकाम
--------	------------

2/23
 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन
 पधार है। न्यायालय विभाग को पेश है।
 22-224

22-24 पत्तावली देस हुई। जमी व जमी वकील नहीं। प्रकरण में बार-बार जमी व जमी की आपात मिलवायी गयी। आपात मिलवाने के लक्ष्य में जमी व जमी वकील उपस्थित नहीं। प्रकरण दि० 5-3-18 से लंबी में फिल्टर चल रहा है। जो न्यायालय द्वारा आदेशों की अनदेखी की गयी है। जिला प्रशासन द्वारा यह है कि जमी व जमी वकील प्रकरण मार्ग चलाने में रुचि नहीं ले रहा है। अतः मु० नं० 122/17 T.C. सुखचंद बजान प्रतीति में जमी व जमी वकील द्वारा न्यायालय आदेशों की अनदेखी करने पर 09/05/18 को लटल बयान दायरी व अदालत में रवी के साक्षिण नियत जाटा है। पत्तावली के लक्ष्य प्रमाण ही प्रमाण में मसवी।

22/24

उपखण्ड अधिकारी
 हिण्डौन सिटी (करौली)